F. No. DPE-GM/0001/2015-GM/FTS-3207
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department Of Public Enterprises
****

Public Enterprises Bhavan,
Block No. 14, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi-110003

Dated: 19th January, 2015

Office Memorandum

Subject: Citizen Charter in CPSEs.

The Parliamentary Standing Committee on Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions and Ministry of Law & Justice recently reviewed the implementation of Government policy on Citizen Charter by certain PSUs. The Committee noted that in some cases the Citizen Charter was not available on the web-site of the PSUs. The Committee has desired that PSUs formulate and host the Citizen Charter on their web-site. The Committee also desired that the PSUs should constantly review the "Vision & Mission" in the Citizen Charter.

2. The Central Public Sector Enterprises (CPSEs) should follow the guidelines for formulation and implementation of the Citizen Charter as prescribed by Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, from time to time. In this regard the information available at http://goicharters.nic.in/ may be referred to.

3. All Ministries / Departments are requested to suitably advise CPSEs under their respective administrative jurisdiction in this regard.

19/01/2015

(J. N. Prasad)
Director

To.

All Administrative Ministries / Departments concerned with CPSEs.

Copy to:

- CMD / Chief Executive Offices of CPSEs.
- NIC Cell / Guard File
- Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms and Public Grievances in reference to D.O. No. G-11012/2/2014-PG dated 18-12-2014.

फाइल संख्या. डीपीई-जीएम/0001/2015-जीएम/एफटीए-3207

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक : 13 जनवरी, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में सिटिजन चार्टर।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने हाल में कुछ लोक उद्यमों द्वारा सिटिजन चार्टर पर सरकारी नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की थी। समिति ने यह नोट किया कि कुछ लोक उद्यमों के सिटिजन चार्टर उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थे। समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि लोक उद्यम सिटिजन चार्टर तैयार करें तथा उसे अपनी ओर से अपनी वेबसाइट पर डालें। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि लोक उद्यमों को सिटिजन चार्टर में "विजन एवं मिशन" की निरन्तर समीक्षा करनी चाहिए।

2. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित सिटिजन चार्टर को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस संबंध में http://goicharters.nic.in पर उपलब्ध सूचना का संदर्भ लिया जा सकता है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में अपने संबंधित प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को उपर्युक्त सलाह दें।

13-01-2015
(जे० एन० प्रसाद)
निदेशक

सेवा में,

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित:

- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सीएमडी/मुख्य कार्यपालक।
- एन आई सी सैल/गार्ड फाइल,
- कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के दिनांक 18.12.2014 के अर्धशासकीय पत्र सं. जी-11012/2/2014-पीजी के संदर्भ में।